65 (12) लोक उद्यमों के निदेशक बोर्डों में सरकारी निदेशकों की भूमिका

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी उद्यमों के निदेशक बोर्ड के संगठन/कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर अनुदेश लोक उद्यम ब्यूरो के दिनांक 19.9.1984 के का.ज्ञा. सं. 18/1/84 – जी एम द्वारा जारी किए गए थे। सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में सरकारी निदेशकों की भूमिका का वर्णन इन अनुदेशों में किया गया था संगत भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः–

सरकारी निदेशकों की भूमिका

ई ए आर सी का विचार है कि सरकारी उद्यमों के निदेशक बोर्ड में सरकारी अधिकारियों की सहभागिता लाभदायक हो सकती है क्योंकि वह सरकारी उ़द्यमों और सरकार के बीच संपर्क और संप्रेषण माध्यम की भूमिका निभाता है। इन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि किसी सरकारी निदेशक की कंपनी के निदेशक और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका को स्पष्ट किया जाना चाहिए निदेशक बोर्ड की बैठक के समक्ष मंत्रालय द्वारा औपचारिक विवरण प्रस्तुत किए बिना उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने, इस संबंध में स्वविवेक से निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए कि विवरण प्रस्तुत किया जाए या रिपोर्ट तैयार की जाए। सरकारी निदेशक को उद्यम के उद्देश्य और लक्ष्यों से परिचित होना चाहिए, समान विषय पर संयुक्त रूप से विचार करना चाहिए और वरिष्ठता के कारण अपने विचारों को थोपना नहीं चाहिए। उसे निदेशक मंडल के समक्ष मामलों में अपने पद की प्रतिष्ठा तक ही सीमित रहना चाहिए। तथापि निदेशक बोर्ड के अन्य सदस्यों को उससे उन मामलों, जिन्हें सरकार को भेजना अपेक्षित है, के संबंध में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की बाद में जांच में उसकी भूमिका मुख्यतः व्याख्यात्मक होनी चाहिए और उसे किसी निर्णय को निदेशक बोर्ड पर नहीं थोपना चाहिए। अनुमोदन स्वीकृति आदि के लिए मंत्रालय को पत्र निदेशक बोर्ड के सरकारी प्रतिनिधि के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए जिसका दायित्व मामले पर कार्रवाई करना और तत्काल सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होना चाहिए।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और प्रशासनिक मंत्रालय कृपया इसका विवरण उपयुक्त रूप से अपने उपक्रमों के निदेशक बोर्ड के सरकारी निदेशक को दें।

2. इन अनुदेशों को एक बार पुनः सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लाया जाता है।

(लो.उ.वि. का 4 दिसंबर, 2003 का का.ज्ञा. सं. 18(24)/2003 जी एम–जीएल–49)